**संख्या:357/ 77-6-16-07(बजट)/ 14**

प्रेषक,

कंचन वर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उद्योग निदेशालय,
कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊःदिनांक- 28 मार्च, 2016

विषयः पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के अन्तर्गत पात्र औद्योगिक इकाइयों को योजनान्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान वितरित करने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किए जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाए जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैन्यूफैक्यरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किए जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के अन्तर्गत पूंजीगत ब्याज उपादान योजना लागू की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में इस हेतु रु. 17.50 करोड़ के बजट की व्यवस्था है जिसके सापेक्ष उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को शासनादेश संख्या-1280/ 77-6-15-7(बजट)/ 14 दिनांक 16-09-2015 द्वारा धनराशि रु. 18,12,279.00 (रु. अट्ठारह लाख बारह हजार दो सौ उन्नासी मात्र) एवं शासनादेश संख्या-137/ 77-6-16-7(बजट)/ 14 दिनांक 17-03-2016 द्वारा धनराशि रु. 1,70,90,260.00 (रु. एक करोड़ सत्तर लाख नब्बे हजार दो सौ साठ मात्र) की वितीय स्वीकृति उक्त मद में निर्गत की जा चुकी है एवं अवशेष धनराशि रु. 15,60,97,461.00 में से वित्तीय निगम से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 15.02.2016 हेतु कुल धनराशि रू0 12,61,000.00 (रूपये बारह लाख एकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत धनराशि का लेखा-जोखा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा रखा जाएगा।

(2) यह धनराशि उन पात्र इकाइयों को उपलब्ध करायी जाएगी जो शासनादेश संख्याः 1415/ 77-6-12-08(एम)/ 12V टी.सी. दिनांक 30-11-2012 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करती हों।

(3) यह धनराशि ऐसी पात्र इकाइयों, जिनका प्रत्यावेदन पिकप में प्राप्त हो या आगे प्राप्त होंगे को उनके प्राप्त प्रत्यावेदन के यथाक्रम में वरीयतानुसार आवश्यक औपचारिकताएं एवं अनुबन्ध पूर्ण कराते हुए उपलब्ध करायी जाएगी।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त आवश्यकतानुसार किया जाएगा। आवश्यकता का आंकलन आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर द्वारा किया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- स्वीकृत धनराशि को व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3- उक्त धनराशि को आहरित करके उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा हस्ताक्षरित कर आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्त के संबंध मे होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के उद्योग विभाग के अनुदान संख्या-7 के आयोजनागत पक्ष में लेखा शीर्षक 2885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय (क्रमशः)-60-अन्य(क्रमशः)-800-अन्य व्यय(क्रमशः)-19-अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कार्यान्वयन-27 सब्सिडी के नामे डाला जाएगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/ 2015/ बी-1-925/ दस-2015-231/ 2015 दिनांक 30.03.2015 में निहित व्यवस्थानुसार निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीया,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

**संख्या:357(1)/ 77-6-16-07(बजट)/ 14 तद्दिनांक**

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम/ द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, कानपुर।

3- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर को उनके पत्र संख्या-1028/ विनि/ जोन-3/ 2015-16 दिनांक 15.02.2016, 1024/ विनि/ जोन-3/ 2015-16 दिनांक 15.02.2016 एवं पत्रांक 1026/ विनि/ जोन-3 दिनांक 15.02.2016 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 4

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6

7- नियोजन अनुभाग-1/ 4

8- औद्योगिक विकास अनुभाग-2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in